फर्जी पत्र पर मांग रहे लाइसेंस

अजय जायसवाल, लखनऊ

यूपी में नया कमाल। यहां के आबकारी आयुक्त ने एक ऐसे पत्र के आधार पर फरमान जारी कर दिया है जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं। पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) जिस पत्र को जारी करने से मना कर चुका है उसी के हवाले से आयुक्त, राज्य के एथनॉल उत्पादकों से लाइसेंस मांग रहे है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने फर्जी पत्र के आधार पर राज्य में एथनॉल उत्पादकों के उत्पीड़न के मद्देनजर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की है। कुछ अफसरों के रवैये पर सवाल उठाते हुए एसोसिएशन ने कहा है कि इससे पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की राष्ट्रीय योजना को झटका लग रहा है।

प्रदेश की 61 चीनी मिलें एथनॉल बनाती है। आबकारी आयुक्त भवनाथ ने केंद्र सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन पेसो (पीईएसओ) द्वारा 99.5 फीसद या इससे अधिक तीव्रता वाले एथनॉल के संचय, लोडिंग एवं अनलोडिंग संबंधी मानकों के बारे में पहली अक्टूबर 2015 को प्रसारित दिशा-निर्देश, पेट्रोलियम एक्ट व रूल्स का हवाला देते हुए राज्य के सभी एथनॉल (अब्सोल्यूट) अल्कोहल उत्पादक आसवनियों को पिछले वर्ष 31 दिसंबर को पत्र लिखकर 31 जनवरी तक लाइसेंस हासिल करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि तय अवधि में लाइसेंस न बनवाने पर आसवनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने पत्र के साथ पेसो की गाइडलाइंस नहीं उपलब्ध करायी इसलिए इंडियन सुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने 21 मार्च को नागपुर स्थित पेसो मुख्यालय के चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव को पत्र लिखकर गाइड लाइंस उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस पर चौकाने वाली बात सामने आयी है।

पेसो के चीफ कंट्रोलर डा. एस. कमल ने छह मई को इस्मा के डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा को पत्र लिखकर बताया है कि पहली अक्टूबर 2015 को तो उनके कार्यालय से एथनॉल स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के बारे किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी ही नहीं की गई है। उन्होंने पत्र का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से तत्काल मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई करने के साथ ही पेसो के फर्जी पत्र के आधार पर एथनॉल के मूवमेंट पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने की मांग की गई है। इस्मा ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्र को भी पत्र लिखकर दखल देने का अनुरोध किया है।

फरमान

- पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने पत्र नकारा, आयुक्त ने उसी पर मांगा लाइसेंस
- इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से की जांच की मांग

तारीख की त्रुटि!

आबकारी आयुक्त भवनाथ के मुताबिक पेसो के जिस पत्र को फर्जी बताया जा रहा है उसमें तारीख की त्रुटि हो सकती है। वैसे भी पेट्रोलियम एक्ट के तहत एथनॉल का उत्पादन करने वाली आसवनियों के लिए सुरक्षा के मद्देनजर पेसो का लाइसेंस लेना जरूरी है। सभी औपचारिकताएं पूरी कर लाइसेंस लेने के लिए आसवनियों को चार माह का समय दिया गया है।

फिर लिखा पत्र

पेसो की गाइडलाइंस संबंधी पत्र का ही संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एथनॉल के लिए उत्पादकों को लाइसेंस लेने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर आयुक्त ने 11 मई को एथनॉल उत्पादक आसवनियों को फिर पत्र लिखा है।

लेना चाहिए लाइसेंस

प्रमुख सचिव गन्ना विकास व चीनी उद्योग राहुल भटनागर के मुताबिक एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी मिलों को नियमानुसार लाइसेंस लेना चाहिए। चीनी मिलें आर्थिक संक्रमण के दौर में है। गन्ना मूल्य का भुगतान लंबित है, केंद्र से आग्रह किया जाएगा ताकि एथेनॉल उत्पादन बाधित न हो।

सीएम से पत्र की जांच की मांग

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के महानिदेशक अविनाश वर्मा के मुताबिक आबकारी आयुक्त ने पेसो के जिस आदेश का जिक्र करते हुए आसवनियों को निर्देश दिए है, उसे फर्जी पाए जाने के कारण एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से जांच की मांग की है। हाई कोर्ट का आदेश भी आयुक्त के निर्देश पर है। उप्र की आसवनियां (डिस्टलरी) ने पेसो से लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। चूंकि फर्जी पत्र के आधार पर आसवनियों पर बंदिशें लगायी जा रही हैं इसलिए उन्हें हटाने की मांग भी मुख्यमंत्री से की है ताकि एथनाल मिश्रण कार्यक्रम प्रभावित न हो सके।